(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 1978

सा. का. नि. 800.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 20 जून, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, केंद्रीय सरकार, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (झझ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों का उपबंध करने के लिए आदेश करने की उसे प्रदत्त शक्तियों, खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी राज्य सरकार द्वारा भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयोक्तव्य होंगी —

(1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे ,

(2) उक्त खण्ड (क), (ग) या (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में या खाद्य वस्तुओं के, राज्य से बाहर के स्थानों को वितरण या व्ययन के संबंध में, या उक्त खण्ड (घ) के अधीन किसी खाद्य वस्तु के परिवहन के विनियमन के संबंध में, आदेश करने से पूर्व राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति भी प्राप्त करेगी ।

(3) उक्त खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के बारे में आदेश करने में राज्य सरकार, सरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगी ।

[सं. 3 (साधारण)(1)/78-डी एण्ड आर (1)-59)]

के. बालाकृष्णन, उप सचिव,

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 9th June, 1978

G.S.R. 800.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Food) No. GSR 316(E), dated the 20th June, 1972, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h) (i). (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to foodstuffs be exercisable also by a State Government subject to the conditions—

(1) that such powers shall be exercised by a State Government subject to such directions, if any, as may be issued by the Central Government in this behalf;

(2) that before making an order relating to any matter specified in the said clauses (a), (c) or (f) or in regard to distribution or disposal of foodstuffs to places outside the State or in regard to regulation of transport of any foodstuff, under the said clause (d), the State Government shall also obtain the prior concurrence of the Central Government; and

(3) that in making an order relating to any of the matters specified in the said clause (j) the State Government shall authorise only an officer of Government.

[No. 3(GENL)(1)/78-D&R(I)-59]

K. BALAKRISHNAN, Dy. Secy.